झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–02

पंचदश (बजट) सत्र
सोमवार, दिनांकः–26 फरवरी, 2024 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० 03:52 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–28

(क) उत्तरित कुल–02	अ०सू०–12, श्री समीर कुमार मोहन्ती,	स0वि0स0
	अ0सू0–09, श्री विकास कुमार मुण्डा	स0वि0स0
(ख) स्थगित कुल–01 एवं स्थानांतरण	अ०सू०–06, श्री लोबिन हेम्ब्रम,	स0वि0स0 (दिनांक–27.02.2024 हेतु)
(ग) अपृष्ठ कुल–02	अ०सू०–03, श्री बिरंची नारायण,	स0वि0स0
	अ०सू०–08, श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
(घ) अनागत कुल–23	क्रम संख्या–06 से 28 तक।	

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–17

(क) अनागत कुल–17 क्रम संख्या–01 से 17 तक।

2. सूचना दिया जाना

1. माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण ने प्रश्नोत्तर के क्रम में आसन के माध्यम से जेएसएससी परीक्षा का प्रश्न–पत्र लीक मामले की जाँच सीबीआई से कराने की माँग की। इस अवसर पर माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी सी.बी.आई. जाँच की माँग दोहराई।
2. माननीय सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी ने सूचना पर खड़े होकर कहा कि जेएसएससी की परीक्षा रद्द होने से युवाओं में गलत संदेश गया है, जल्द–से–जल्द परीक्षा कराने का आग्रह किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा वेल में आकर शोरगुल एवं नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11:23 पूर्वा० में 12:30 अप० तक के लिए स्थगित)

(पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति तथा नियोजन नीति बनाने एवं विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के खिलाफ किये गये केस को वापस लेने तथा माननीय सदस्य सर्वश्री अनन्त कुमार ओझा एवं मनीष जायसवाल द्वारा स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक संबंधी

विषय पर दी गयी कार्यस्थगन की सूचना चलते सत्र में चर्चा संभव होने के कारण इन सूचनाओं को अमान्य किया गया।

4. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
श्री सरयू राय	स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
श्री समीर कुमार मोहन्ती	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
श्री अमित कुमार यादव	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्रीमती सुनिता चौधरी	स0वि0स0

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् श्री सरयू राय, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय मंत्री (वित्त) डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा झारखण्ड का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023–24 की एक प्रति सदन पटल पर रखते हुए प्रस्ताव किया गया कि यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो, जो सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

7. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत् समिति का अष्टम् प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

8. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर योजना–सह–वित्त विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, डॉ० रामेश्वर उराँव द्वारा तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–22 ''गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)'' के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 97,67,27,000/–(सत्तानबे करोड़, सड़सठ

लाख, सताईस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान करने से संबंधित मांग प्रस्तुत की गयी, जिसपर माननीय सदस्य सर्वश्री अनन्त कुमार ओझा, लम्बोदर महतो एवं मनीष जयसवाल से प्राप्त कटौती प्रस्ताव का उल्लेख आसन से किया गया। पुनः आसन की अनुमति से श्री अनन्त कुमार ओझा ने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

9. वित्तीय कार्य (क्रमांक–8 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने चर्चा प्रारंभ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लियाः–

श्री सुदिव्य कुमार

श्री उमाशंकर अकेला

डॉ0 लम्बोदर महतो

श्री सरयू राय

(बजट पर चर्चा के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक के मामले की सी.बी.आई. से जाँच की माँग करते हुए 02:32 बजे अप0 में सदन से वहिर्गमन किया गया।)

कटौती प्रस्ताव पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री, वित्त, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा जवाब दिया गया। इसके उपरांत कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री अनन्त कुमार ओझा सहित सम्पूर्ण विपक्ष की सदन से अनुपस्थिति में कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

तदुपरांत तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित मांग संख्या–22 ''गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)'' के लिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यय की पूर्ति के लिए अनुदान मांग ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् तृतीय अनुपूरक व्यय–विवरण की अनुदान तथा नियोजन के मांगों की अनुसूची में सम्मिलित अन्य विभागों से संबंधित सभी मांग (कुल–38) गिलोटिन (मुखबंद) के माध्यम से सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुई।

10 विधायी कार्य

"झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2024"

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, डॉ0 रामेश्वर उराँव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड–02 एवं खण्ड–03, अनुसूची, खण्ड–01, प्रस्तावना तथा नाम बारी–बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा **"झारखण्ड विनियोग (संख्या–01) विधेयक, 2024"** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक–27 फरवरी, 2024 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,

दिनांक–26 फरवरी, 2024

सैयद जावेद हैदर,

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।